



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2019/ आषाढ 6, 1941

No. 227]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2019/ASHADHA 6, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2019-मेडि./126168.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

- (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2019" कहा जाएगा।
- (ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित अभिवर्धन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:-
- खंड क.1 में, उप खंड 23 के पश्चात, खंड क.1 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

"क.1.24 :

प्रत्येक कॉलेज में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (एआरटी) केंद्र होना चाहिए और एमबीबीएस छात्रों के 5 वें बैच के प्रवेश के लिए 4 वें नवीनीकरण के समय एमडीआर-टीवी के प्रबंधन की सुविधा होनी चाहिए।"

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड.(ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20.10.2008, 01.12.2008, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 17.09.2010, 03.11.2010, 18.03.2014,

BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

No. MCI-34(41)/2019-Med./126168.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Standard Requirement for 50 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely: -

- (i) These Regulations may be called the “Minimum Standard Requirement for 50 MBBS Admissions Annually Regulation (Amendment), 2019”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the “Minimum Standard Requirement for 50 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions shall be, as indicated therein: -
- In Clause A.1. following is added in Clause A.1. after sub clause 23:

“A.1.24 :

Every College should have Anti Retroviral Treatment (ART) Centre and facility for management of MDR-TB at the time of 4th renewal for admission of 5th Batch of MBBS students”

Dr. R. K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./113/19]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Minimum Standard Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20th October, 2008, 1st December, 2008, 13th November, 2009, 18th January, 2010, 30th January, 2010, 26th February, 2010, 17th September, 2010, 3rd November, 2010, 18th March, 2014, 1st July, 2015, 27th January, 2017, 9th March, 2017, 23rd August, 2017, 22nd January, 2018, 5th February, 2019 & 29th April, 2019.

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

सं. भा.आ.प.-34(41)/2019-मेडि./126168.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

- (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2019” कहा जाएगा।
- (ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित अभिवर्धन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:-
- खंड क.1 में, उप खंड 23 के पश्चात, खंड क.1 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

“क.1.24 :

प्रत्येक कॉलेज में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (एआरटी) केंद्र होना चाहिए और एमबीबीएस छात्रों के 5 वें बच्चे के प्रवेश के लिए 4 वें नवीनीकरण के समय एमडीआर-टीबी के प्रबंधन की सुविधा होनी चाहिए।”

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड.(ii)के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20.10.2008, 01.12.2008, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 17.09.2010, 03.11.2010, 18.03.2014, 01.07.2015, 27.01.2017, 09.03.2017, 23.08.2017, 22.01.2018, 05.02.2019 और 29.04.2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

No. MCI-34(41)/2019-Med./126168.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Standard Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely: -

- (i) These Regulations may be called the “Minimum Standard Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulation (Amendment), 2019”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the “Minimum Standard Requirement for 100 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions shall be, as indicated therein: -
- In Clause A.1. following is added in Clause A.1. after sub-clause 23:

“A.1.24 :

Every College should have Anti Retroviral Treatment (ART) Centre and facility for management of MDR-TB at the time of 4th renewal for admission of 5th Batch of MBBS students”.

Dr. R. K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./113/19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Minimum Standard Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No.35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20th October, 2008, 1st December, 2008, 13th November, 2009, 18th January, 2010, 30th January, 2010, 26th February, 2010, 17th September, 2010, 3rd November, 2010, 18th March, 2014, 1st July, 2015, 27th January, 2017, 9th March, 2017, 23rd August, 2017, 22nd January, 2018, 5th February, 2019 & 29th April, 2019.

सं. भा.आ.प.-34(41)/2019-मेडि./126168.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2019” कहा जाएगा।
(ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित अभिवर्धन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:-
3. खंड क.1 में, उप खंड 23 के पश्चात, खंड क.1 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :-

“क.1.24 :

प्रत्येक कॉलेज में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (एआरटी) केंद्र होना चाहिए और एमबीबीएस छात्रों के 5वें बैच के प्रवेश के लिए 4 वें नवीनीकरण के समय एमडीआर-टीबी के प्रबंधन की सुविधा होनी चाहिए।”

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/19]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेड.(ii)के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20.10.2008, 01.12.2008, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 17.09.2010, 03.11.2010, 18.03.2014, 01.07.2015, 27.01.2017, 09.03.2017, 23.08.2017, 22.01.2018, 05.02.2019 और 29.04.2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

No.MCI-34(41)/2019-Med./126168.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Standard Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the “Minimum Standard Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation (Amendment), 2019”.
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Minimum Standard Requirement for 150 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions shall be, as indicated therein: -
3. In Clause A.1. following is added in Clause A.1. after sub clause 23:-

“A.1.24 :

Every College should have Anti Retroviral Treatment (ART) Centre and facility for management of MDR-TB at the time of 4th renewal for admission of 5th Batch of MBBS students”.

Dr. R. K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./113/19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum Standard Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20th October, 2008, 1st December, 2008, 13th November, 2009, 18th January, 2010, 30th January, 2010, 26th February, 2010, 17th September, 2010, 3rd November, 2010, 18th March, 2014, 1st July, 2015, 27th January, 2017, 9th March, 2017, 23rd August, 2017, 22nd January, 2018, 5th February, 2019 & 29th April, 2019.